"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014—आषाढ़ 27, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ऋजुल साहू पिता श्री काशीराम साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी. 30, सेक्टर 4, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम के. ऋजुल था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंकसूची, शासकीय, अशासकीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ऋजुल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ऋजुल साहू पिता श्री काशीराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
के. ऋजुल	ऋजुल साहू
पिता-श्री काशीराम साहू	पिता-श्री काशीराम साहू
निवासी-MIG-30, सेक्टर-4,	निवासी-MIG-30, सेक्टर-4,
पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर	पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)	तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ऋषभ साहू पिता श्री काशीराम साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी. 30, सेक्टर 4, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम के. ऋषभ था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंकसूची, शासकीय, अशासकीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ऋषभ साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ऋषभ साहू पिता श्री काशीराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
के. ऋषभ पिता-श्री काशीराम साहू निवासी-MIG-30, सेक्टर-4, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)	ऋषभ साहू पिता-श्री काशीराम साहू निवासी-MIG-30, सेक्टर-4, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलेश वर्मा पिता स्व. कन्हैया लाल वर्मा, आयु 51 वर्ष, निवासी ब्लाक 3 सी., सड़क 14, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पहली से लेकर ग्यारहवीं एवं बी. एस. पी. सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कमलेश कुमार दर्ज है तथा मेरे पॉलिटेक्निक के प्रमाण पत्र में मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा दर्ज है तथा मेरे संतान के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम कमलेश वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कमलेश वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे कमलेश वर्मा पिता स्व. कन्हैया लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कमलेश कुमार पिता-स्व. कन्हैया लाल निवासी-ब्लाक 3 सी, सड़क 14, सेक्टर 5, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	कमलेश वर्मा पिता-स्व. कन्हैया लाल वर्मा निवासी-ब्लाक 3 सी, सड़क 14, सेक्टर 5, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शानिल सिंघल पति श्री विजय कुमार सिंघल, निवासी-एम. आई. जी. 13/सी. जी. एच. बी., 32 एकड़ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम करूणा अग्रवाल पिता श्री एस. आर. अग्रवाल था तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मेरा विवाह श्री विजय कुमार सिंघल के साथ होने के कारण मैं अपने नाम को परिवर्तित कर शानिल सिंघल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे शानिल सिंघल पति श्री विजय कुमार सिंघल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
करूणा अग्रवाल पिता-श्री एस. आर. अग्रवाल निवासी-मकान नं. 233, सड़क नं. 30, शांतिनगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	शानिल सिंघल पति श्री विजय कुमार सिंघल निवासी-एमआईजी 13/सी, जीएचबी 32/एकड़ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोहित सिंह आत्मज श्री छकन लाल कुर्रे, उम्र 23 वर्ष, निवासी-मकान नं. 304, विद्युत नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. पूर्व में मुझे दाविद कुर्रे के नाम से जाना पहचाना जाता था तथा मेरे सभी स्कूल और कालेज के रिकार्ड और सर्टिफिकेट में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रोहित सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रोहित सिंह आत्मज श्री छकन लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दाविद कुर्रे आत्मज-श्री छकन लाल निवासी -मकान नं. 304, विद्युत नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	रोहित सिंह आत्मज-श्री छकन लाल निवासी -मकान नं. 304, विद्युत नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार वर्मा (Dinesh Kumar Verma) पिता स्व. राधेश्याम वर्मा, आयु 39 वर्ष निवासी-117/4, शिल्प सागर अपार्टमेन्ट के पास, मैत्रीकुंज रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बारहवीं की अंकसूची एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा पिता श्री राधेश्याम वर्मा दर्ज है तथा मेरे कक्षा दसवीं, आई. टी. आई. एवं अंशकालीन डिप्लोमा के प्रमाण-पत्र में मेरा नाम दिनेश कुमार पिता श्री राधेश्याम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम वर्मा जोड़कर अपना नया नाम दिनेश कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिनेश कुमार वर्मा पिता श्री राधेश्याम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दिनेश कुमार पिता-श्री राधेश्याम निवासी -117/4, शिल्प सागर अपार्टमेंट के पास, मैत्रीकुंज रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	दिनेश कुमार वर्मा पिता-श्री राधेश्याम वर्मा निवासी -117/4, शिल्प सागर अपार्टमेंट के पास, मैत्रीकुंज रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश माहुरकर (Rajesh Mahurkar) आत्मज श्री श्रवण कुमार, आयु 42 वर्ष, निवासी क्वा. नं.-5/ए, सड़क नं. 1, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश (Rajesh) दर्ज है तथा मेरे परिचय पत्र एवं ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम राजेश माहुरकर दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम माहुरकर जोड़कर अपना नया नाम राजेश माहुरकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेश माहुरकर आत्मज श्री श्रवण कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेश आत्मज-श्री श्रवण कुमार निवासी -क्वा. नं. 5/ए, सड़क नं. 1, सेक्टर 2 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	राजेश माहुरकर आत्मज-श्री श्रवण कुमार निवासी -क्वा. नं. 5/ए, सड़क नं. 1, सेक्टर 2 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 30 जून 2014

प्र. क्र./ ब 113 (1)/वर्ष 2013-14

क्रमांक 382/अविअ/ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गोपाल अग्रवाल आत्मज श्री रामजीलाल अग्रवाल निवासी श्री पुरन दाल मिल, रामसागरपारा, रायपुर जिला रायपुर ने "छात्र कल्याण न्यास" विद्यार्थी सदन, देवेन्द्र नगर सेक्टर-3 रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा - 4(1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"छात्र कल्याण न्यास" विद्यार्थी सदन, देवेन्द्र नगर सेक्टर-3 रायपुर तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 21-07-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30-06-2014 को जारी.

एस. के. अग्रवाल
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.